



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275671
CG-DL-E-22082026-275671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948

No. 231]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

सं. 27 /2026-27

विषय: 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात के लिए टीआरक्यू के आवेदन और वितरण की कार्य-रीति और प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) स्कीम हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) स्कीम द्वारा एक बार के परिवर्तन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/43/एएम-26/पीसी-2(ए)/(ई-47338).—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा अधिसूचना सं. /2026-2027 दिनांक अगस्त, 2026 के द्वारा अधिसूचित कच्ची चीनी के आयात हेतु टीआरक्यू स्कीम के परिचालन के लिए कार्य-रीति निर्धारित करते हैं:

कच्ची चीनी के लिए 10 लाख मीट्रिक टन प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन की कार्य-रीति:

2. पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

- i. टीआरक्यू के लिए मिल मालिक और रिफाइनरों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिनके पास सफेद/परिष्कृत चीनी में कच्चे चीनी को परिवर्तित करने की अपनी कार्यात्मक क्षमता है। आवेदन की समय सीमा 21.08.2026 से 28.08.2026 तक है
 - ii. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए सभी आवेदन डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) --> इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम --> टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
 - iii. आवेदकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति पत्र की प्रति या इकाई की शोधन क्षमता को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य दस्तावेज़ के रूप में शोधन क्षमता की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
 - iv. आवेदन में दिए गए विवरणों की जांच की जाएगी और किसी भी गलत घोषणा के परिणामस्वरूप आईसी का निलंबन होगा और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - v. आवंटन में उन आयातकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 15 अक्टूबर, 2026 तक ऐसा आयात पूरा करने का वचन देते हैं।
3. निर्यात-आयात सुविधा समिति (ईएफसी) आवेदनों का मूल्यांकन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इकाईयों की शोधन क्षमता और अनुरोधित कुल मात्रा और उनके आयात का इतिहास और ऐसे अन्य संबंधित कारक शामिल होंगे जो आवश्यक समझे जाते हैं।
 4. कोटा के आवंटन पर, टीआरक्यू धारकों को टीआरक्यू प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर डीजीएफटी को क्रेडिट/कन्फर्म अनुबंध पत्र का विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुतीकरण टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के संबंध में संशोधन आवेदन दाखिल करके किया जाना है।
 5. सभी टीआरक्यू धारकों को निर्धारित अवधि के भीतर आयात के लिए आवंटित टीआरक्यू मात्रा का उपयोग करना होगा। तथापि, एक टीआरक्यू धारक टीआरक्यू प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी भी अप्रयुक्त मात्रा को अभ्यर्पित कर सकता है, जो अभ्यर्पित की गई मात्रा के सीआईएफ मूल्य के 0.5% के बराबर राशि के भुगतान के अधीन है। इस प्रकार अभ्यर्पित की गई किसी भी मात्रा को डीजीएफटी द्वारा पुनः आवंटित किया जा सकता है।
 6. निर्धारित अवधि के भीतर आवंटित मात्रा का उपयोग करने या अभ्यर्पित करने में विफलता टीआरक्यू प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, और कानून के तहत किसी अन्य कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना, एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आवंटन की रद्दकरण/कटौती और भविष्य के टीआरक्यू आवंटन से प्रतिबंध शामिल हैं।
 7. अन्य लागू शर्तें:
 - i. सभी आयातित कच्ची चीनी को टीआरक्यू धारक की अपनी सुविधा में ही संसाधित किया जाना चाहिए।
 - ii. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के अंतर्गत शामिल प्रत्येक 1.05 किग्रा. कच्ची चीनी के बदले, टीआरक्यू धारक को 31.10.2026 तक घरेलू बाज़ार में 1 किलोग्राम परिष्कृत चीनी का उत्पादन और बिक्री करनी होगी। ऐसा न करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लागू सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान भी शामिल हो सकता है।
 - iii. टीआरक्यू के तहत आयातित कच्ची चीनी को आयात के बाद उचित अवधि के भीतर सफेद/परिष्कृत चीनी में संसाधित किया जाएगा और किसी भी स्थिति में 31 अक्टूबर, 2026 तक घरेलू बाज़ार में इसकी बिक्री को सक्षम करने के लिए पर्याप्त रूप से पहले से ही प्रयास किया जाएगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) स्कीम से प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) स्कीम में एक बार के परिवर्तन के लिए कार्य-रीति :

1. सिओन ई 52 के तहत पहले से जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्रों को इस अधिसूचना की तिथि तक ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों के तहत वास्तव में आयातित कच्ची चीनी की मात्रा के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम से टीआरक्यू स्कीम में रूपांतरण के लिए एक बार का विकल्प दिया जाता है।

इसमें परिष्कृत चीनी, पहले से उत्पादित और आयातित कच्ची चीनी से उत्पादित की जाने वाली चीनी शामिल होगी जो अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत उपलब्ध है।

यह परिवर्तन इस शर्त के अलावा अन्य शर्तों के साथ आयात के समय ली गई जीएसटी छूट के भुगतान के अधीन है, कि आयातित कच्ची चीनी से प्राप्त परिष्कृत चीनी 31.10.2026 तक घरेलू बाजार में बेची जाएगी।

2. प्राधिकार-पत्र धारक जो प्राधिकार-पत्र को टीआरक्यू स्कीम में परिवर्तित होने के विकल्प का लाभ उठाना चाहते हैं, वे डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) --> इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम --> टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से टीआरक्यू आवेदन दाखिल करेंगे। आवेदन दिनांक 21.08.2026 से 28.08.2026 तक किया जा सकता है।

3. इस तरह का आवेदन दाखिल करते समय, प्राधिकार-पत्र धारक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने हैं:

- i. सिओन ई 52 के लिए जारी वैध अग्रिम प्राधिकार पत्र की एक प्रति।
- ii. परिवर्तित की जाने वाली कच्ची चीनी की मात्रा के लिए आवेदन किया गया है, उस पर चुकाए गए जीएसटी भुगतान के प्रमाण की एक प्रति।
- iii. अधिसूचना जारी होने की तिथि अर्थात्-अगस्त 2026 तक संबंधित प्राधिकार पत्र के तहत आयातित कच्ची चीनी की मात्रा और मूल्य और निर्यातित परिष्कृत चीनी की मात्रा और मूल्य बताने वाली स्व-प्रमाणित घोषणा।
- iv. प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध कच्ची चीनी की मात्रा बताने वाली एक स्व-प्रमाणित घोषणा, जिसमें उत्पादन/निर्यात में पहले से प्रयोग की गई मात्रा (जहाँ भी लागू हो) को ध्यान में रखा गया हो।

4. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के अंतर्गत कच्ची चीनी के प्रत्येक 1.05 किलोग्राम के लिए, टीआरक्यू धारक दिनांक 31.10.2026 तक घरेलू बाजार में 1 किलोग्राम परिष्कृत चीनी का उत्पादन और बिक्री करेगा। इसका अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्रवाई की जाएगी जिसमें लागू सीमा शुल्क और ब्याज का भुगतान भी शामिल है, यह कार्रवाई अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम से जुड़े नियमों के अनुसार होगी, जहाँ भी यह नियम लागू होते हों।

5. परिष्कृत चीनी की घरेलू बिक्री को प्रमाणित करने वाले जीएसटी चालानों का एक विवरण, जो घरेलू बाजार में बेची गई परिष्कृत चीनी की मात्रा को दर्शाता है, इस स्कीम के तहत टीआरक्यू धारकों द्वारा महीने के पहले और 15वें दिन पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, अंतिम विवरण दिनांक 01 नवम्बर, 2026 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

6. पहले से उत्पादित या बाद में योग्य आयातित कच्ची चीनी से उत्पादित परिष्कृत चीनी को निर्धारित अवधि के भीतर घरेलू बाजार में बेचा जाएगा। रूपांतरण की शर्तों का पालन करने या निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप रूपांतरण/टीआरक्यू प्राधिकार पत्र रद्द हो सकता है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई हो सकती है।

7. डीजीएफटी के पास विदेश व्यापार नीति और लागू कानून के अधीन, जैसा भी आवश्यक समझा जाए इस सार्वजनिक सूचना के किसी भी प्रावधान को संशोधित, परिवर्तित, छूट या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 20th August, 2026

No. 27/2026-2027

Subject: Modalities for Application and Distribution of TRQ for Import of 10 Lakh MT of Raw Sugar and one-time conversion from Advance Authorisation (AA) Scheme to Tariff Rate Quota (TRQ) Scheme-reg.

F. No. 01/89/180/43/AM-26/PC-2(A)/(E-47338).—In exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby prescribes the modalities for operationalisation of the TRQ Scheme for import of Raw Sugar notified vide Notification No. --/2026-2027 dated -- August 2026:

Modalities For The Allocation Of The 10 Lakh Mt Tariff Rate Quota (Trq) For Raw Sugar:

2. The criteria for eligibility and Application process are given as under:
 - i. Applications for TRQ are invited online from millers and refiners possessing their own functional capacity to convert raw sugar into white/refined sugar. The Application window is from 21.08.2026 till 28.08.2026.
 - ii. All applications for grant of TRQ authorisations shall be submitted online through the DGFT website (<https://dgft.gov.in>) --> Import Management System --> Tariff Rate Quota (TRQ)
 - iii. Applicants must submit a self-declaration of refining capacity, along with supporting evidence of the same in the form of a copy of Consent to Operate issued by the State Pollution Control Board or any other document evidencing the refining capacity of the entity.
 - iv. The details given in the applications will be subject to scrutiny, and any misdeclaration will entail suspension of IEC and would attract penal action under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, and the rules and orders made thereunder.
 - v. Preference in allocation shall be given to the importers who give an undertaking to complete such import by 15th October 2026.
3. The Exim Facilitation Committee (EFC) will evaluate applications taking into consideration various factors, inter alia, the refining capacity of the units and the total quantity requested and history of imports and such other relevant factors as may be deemed necessary.
4. On allocation of quota, the TRQ holders shall submit details of Letter(s) of Credit/confirmed contract to DGFT within 15 days of obtaining the TRQ authorisation. The submissions are to be made by filing an amendment application against the TRQ Authorisation.
5. All TRQ holders shall utilise the allocated TRQ quantity for import within the prescribed period. However, a TRQ holder may surrender any unutilised quantity within 15 days of the date of issue of the TRQ Authorisation, subject to payment of an amount equivalent to 0.5% of the CIF value of the surrendered quantity. Any quantity so surrendered may be reallocated by DGFT.
6. Failure to utilise or surrender the allocated quantity within the prescribed period shall constitute non-compliance with the conditions of the TRQ Authorisation and may, without prejudice to any other action permissible under law, attract action under the FT(D&R) Act, 1992, and the rules and orders made thereunder, including cancellation/reduction of the allocation and restriction from future TRQ allocations.
7. Other Applicable Conditions:
 - a. All imported Raw Sugar must be processed at the TRQ holder's own facility.
 - b. For every 1.05 KG of Raw Sugar covered under the TRQ Authorisation, the TRQ holder shall produce and sell 1 KG of Refined Sugar in the domestic market by 31.10.2026. Failure to

comply with the same shall result in such action as may be permissible under law, including payment of applicable Customs duty and interest, as applicable.

c. The Raw Sugar imported under the TRQ shall be processed into White/Refined Sugar within a reasonable period after import and, in any event, sufficiently in advance to enable its sale in the domestic market by 31 October 2026.

Modalities for one-time conversion from Advance Authorisation (AA) Scheme to Tariff Rate Quota (TRQ) Scheme:

1. Advance Authorisations already issued under SION E52 are given a one-time option for conversion from the Advance Authorisation Scheme to the TRQ Scheme in respect of the quantity of Raw Sugar actually imported under such Advance Authorisations up to the date of this Notification.

This will include refined sugar, already produced and to be produced out of the imported raw sugar available under the Advance Authorisation.

The conversion is subject to payment of the exempted GST availed at the time of import, condition that the refined sugar manufactured out of the imported Raw Sugar shall be sold in the domestic market by 31.10.2026 and such other conditions as may be prescribed.

2. The AA holders who wish to avail the option to convert from AA to TRQ scheme shall file a TRQ Application through the DGFT website (<https://dgft.gov.in>)

--> Import Management System --> Tariff Rate Quota (TRQ). The Application window is from 21.08.2026 till 28.08.2026.

3. While filing such an application, the AA holder should submit the following:

- a. A copy of the valid Advance Authorisation issued for SION E52.
- b. A copy of the proof of GST paid against the applied quantity of Raw Sugar proposed for conversion.
- c. A self-certified statement indicating the quantity and value of Raw Sugar imported and the quantity and value of Refined Sugar exported against the relevant Advance Authorisation up to the date of the Notification, i.e. -- August 2026.
- d. A self-certified statement indicating the quantity of Raw Sugar available for processing, after accounting for the quantity already utilised in production/export wherever applicable.

4. For every 1.05 KG of Raw Sugar covered under the TRQ Authorisation, the TRQ holder shall produce and sell 1 KG of Refined Sugar in the domestic market by 31.10.2026. Failure to comply with the same shall result in such action as may be permissible under law, including payment of applicable Customs duty and interest, as per the provisions governing the Advance Authorisation Scheme, wherever applicable.

5. A statement of GST invoices evidencing the domestic sale of Refined Sugar, indicating the quantity of Refined Sugar sold in the domestic market, shall be submitted by the TRQ holders under this scheme on or before the 1st and 15th day of the month, with the final statement to be submitted by 1 November 2026.

6. The refined sugar already produced or subsequently produced from the eligible imported Raw Sugar shall be sold in the domestic market within the prescribed period. Failure to comply with the conditions of conversion or furnish the prescribed documents may result in cancellation of the conversion/TRQ Authorisation and such further action as may be permissible under law.

7. DGFT reserves the right to amend, modify, relax or withdraw any provision of this Public Notice, as may be considered necessary, subject to the Foreign Trade Policy and applicable law.

LAV AGARWAL Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.